भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1199
28.06.2019 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

1199. श्री रामप्रीत मंडल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) मानव जीवन और प्राकृतिक संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु कदम उठाए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या परिणाम प्राप्त हुआ हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत भारत की दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1901-2010 की अवधि के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के प्रेक्षण संबंधी नेटवर्क से प्राप्त वर्षा के आंकड़ों के विश्लेषण से सर्दी, पूर्व मानसून और दक्षिण पूर्व मानसून के मौसमों के दौरान देश के अधिकांश भागों में शुष्क दिवसों की बारंबारता में वृद्धि की रूझान का पता चलता है। वर्ष 1901 से वैश्विक सतही तापमानों ($0.85 \pm 0.18^{0}C$) में देखे गए बढ़ते रूझान के अनुरूप, वर्ष 1901-2017 की अवधि के लिए भारत में वार्षिक औसत तापमान में प्रति सौ वर्षों में 0.66 डिग्री सी के महत्वपूर्ण रूप से बढ़ते हुए रूझान का भी पता चला है।

(ग) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने हेतु एक अध्ययन कराया गया और ''जलवायु परिवर्तन और भारत : एक 4x4 आकलन- वर्ष 2030 के दशक के लिए एक विषयगत और क्षेत्रीय विश्लेषण'' शीर्षक से उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में, भारत के चार जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों नामत: हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् कृषि, जल, प्राकृतिक पारि-तंत्र और जैवविविधता तथा मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुमान लगाया गया है। इस अध्ययन में जलवायु संबंधी मानदंडों और संगत क्षेत्रों पर संबंधित प्रभाव के लिए मिश्रित परिदृश्य का अनुमान लगाया गया है। इस अध्ययन में कुछ फसलों की उपज में कमी और वनों की संरचना में परिवर्तन तथा निवल प्राथमिक उत्पादकता सहित कृषि उत्पाद की परिवर्तनशील दर का अनुमान लगाया गया है। सभी क्षेत्रों में अतिवृष्टि की घटनाओं में वृद्धि की संभावना है। हिमालयी क्षेत्र में वर्षा में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है जबकि अन्य तीन क्षेत्रों में वर्षा की दर में परिवर्तन की संभावना है। नए क्षेत्रों में मलेरिया के प्रकोप का अनुमान लगाया गया है और वर्षा ऋतु में इस रोग का संक्रमण बढ़ सकता है।

(स्रोत: दिनांक 23.07.2018 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.-54 का उत्तर)

(घ) और (ड.) सरकार द्वारा जून, 2008 में जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की शुरूआत की गई है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। एनएपीसीसी के अंतर्गत सौर ऊर्जा, वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली का संरक्षण, वानिकी, कृषि और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक ज्ञान संबंधी विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशन शामिल है, जिनके तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण, वन, पर्यावास, जल संसाधन और कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अनुकूलन से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाता है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से भी अनुरोध किया गया है कि वे जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार करें। अब तक 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी एसएपीसीसी तैयार कर ली गई है।

वर्ष 2020 के बाद की अवधि के लिए अक्तूबर, 2015 में प्रस्तुत पेरिस समझौते के तहत, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कमी लाने, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत समेकित विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता हासिल करने और वर्ष 2030 तक वन और वृक्षावरण में वृद्धि के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन अवशोषण क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

****